न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 54 / 2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–शंभुलाल पिता बालू ढोली (दमामी) निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–बरदु पिता भुरा तेली निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–गोरधन पिता रामा ढोली निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कोर्ट केम्प नान्दशा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोगरास पटवार हक्ला नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 298 रकबा 1.08 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 378 पर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरम्यान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थी को घास आदि काटने में फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीको अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे हैं। प्रार्थी ने दिनांक 30.04.2018 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 30.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 01 एवं 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण स्वीकार योग्य है। अतः

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 54/2018 प्रार्थनापत्र
शंभूलाल बनाम बरदू वगै0

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम जोगरास पटवार हक्ला नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 298 रकबा 1.08 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 378 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षर सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावें। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा